(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2857-PBR/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–7–2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 221/2012–13/अपील.

मदनलाल आ0 तुलसीराम माली
निवासी ग्राम मनियाखेडी तहसील रहटगॉव
जिला हरदा

..... आवेदक

विरूद्ध

सुखराम आ0मदनलाल माली निवासी ग्राम हीरापुर
तहसील हंडिया जिला हरदा

..... अनावेदक

.....

श्री नीलेश शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0पी0गौड, अभिभाषक, अनावदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वे आपस में पिता, पुत्र है और आवेदक के नाम ग्राम मनियाखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 13/1 रक़बा 2.19 एकड़ भूमि है । उक्त भूमि में सुखराम का हक भी है इसलिय मदनलाल के साथ उसका नाम दर्ज किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 28–7–08 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि में आवेदक के साथ अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–1–13 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–7–15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मनियाखेड़ी तहसील रेहटगॉव में आ जाने के कारण तहसीलदार टिमरनी को नामान्तरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रह गया था अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित क्षेत्राधिकार रहित आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक उपस्थित नहीं हुआ है और उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के बिना हस्ताक्षर का मिलान किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है क्योंकि आवेदक कभी भी तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है क्योंकि भूमि का हस्तान्तरण पंजीकृत दस्तावेज से ही किया जा चुका है और तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक की ओर से कोई व्यवस्था पत्र अथवा आवेदक

के हस्ताक्षरित कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के जिस आदेश दिनांक 30–7–15 को चुनौती दी गई है वह न्यायालय तहसीलदार टिमरनी का अपीलीय न्यायालय है एवं तहसीलदार टिमरनी का लिंक न्यायालय रेहटगॉव में जनता की सहूलियत के लिये सम्पादित किया गया था, अतः तहसीलदार टिमरनी को नामान्तरण आदेश पारित करने का अधिकार था ।

(2) जिस समय तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–7–08 को आदेश पारित किया गया था, उस समय प्रश्नाधीन भूमि तहसील टिमरनी में ही आती थी ।

(3) आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में गलत तरीके से हस्ताक्षर एवं अधिकार संबंधी प्रश्न उठाया गया है जिसे मान्य नहीं किया गया है । अतः इस न्यायालय में इस स्तर पर पुनः वही प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

(4) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा के लिये व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था जो कि निरस्त हुआ है, उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक मदनलाल के और भी वारिस थे जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी इस तथ्य को देखा नहीं गया है । पूर्व में व्यवहार न्यायालय में भी प्रकरण चले है, वह भी किसी भी अधीनस्थ न्यायालय ने संज्ञान में नहीं लिये गये हैं अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2015, अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2013 एवं तहसीलदार टिमरनी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2003 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.